"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014— फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-13/2014/वाक/पांच (27). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01-04-2014 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में, अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2014" के स्थान पर अंक "2015" प्रतिस्थापित किया जाए :-

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-3/28/2000/वि. क./पांच (33)	13-04-2000
2.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01-05-2003
3.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06-10-2003
4.	एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17)	30-03-2006
5.	एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50)	28-04-2006
6.	एफ-10/33/2007/वाक/पांच (24)	02-04-2007
7.	एफ-10-1/2010/वाक/पांच (3)	20-01-2010

(1)	(2)	(3)
8.	एफ-10-29/2010/वाक/पांच (34)	01-04-2010
9.	एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24)	31-03-2011
10.	एफ-10/17/2012/वाक/पांच (16)	31-03-2012
11.	एफ-10/08/2013/वाक/पांच (10)	28-03-2013

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-13/2014/वाक/पांच (27). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13/2014/वाक/पांच (27), दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10-13/2014/CT/V(27). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2014:-

AMENDMENT

In the following notifications for the figure "2014" related to period of the notification, the figure "2015" shall be substituted :

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-3-28/2000/S. T./V (33)	13-04-2000
2.	F-10/20/2003/CT /V (39)	01-05-2003
3.	F-10/70/2003/CT /V (93)	06-10-2003
4.	F-10/29/2006/CT /V (17)	30-03-2006
5.	F-10/58/2006/CT /V (50)	28-04-2006
6.	F-10/33/2007/CT /V (24)	02-04-2007
7.	F-10-1/2010/CT /V (3)	20-01-2010

(1)	(2)	(3)
8.	F-10-29/2010/CT/V (34)	01-04-2010
9.	F-10/24/2011/CT/V (24)	31-03-2011
10.	F-10/17/2012/CT/V (16)	31-03-2012
11.	F-10/08/2013/CT/V (10)	28-03-2013

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.